

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र राशमी अडावाराजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 89 / 2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का 3333 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा जवानपुरा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में खाता संख्या 78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>जवानपुरा</u>	<u>78</u>	<u>पयार</u>	<u>बैरवा</u>



क्रमांक: सरिस्ता/5-11(89)2018

दिनांक :- राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री राशमी को सूचनार्थ।

41
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपराशमी अधिकारी)

41
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
(उपराशमी अधिकारी)
राशमी, जिला-चित्तौड़गढ़